न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बसवा (दौसा)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	हरलाल बनाम रेवडमल केस नं० 56/22
7/3/24	पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का अवलोकन किया, प्राप्त कागजात का अध्ययन किया, चूंकि कागजात प्राप्त हो चुके है, अतः प्रकरण में Final Decree व निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया, पत्रावली फैसल शुमार होकर शामिल दफ्तर होकर, नम्बर से कम हो, पृथक से लिखवाया गया निर्णय व डिक्री को इस पत्रावली में संलग्न किया जावे। वकील पक्षकारान की बहस वास्ते दुरुस्ती व कागजात पर सुनी गई, तत्पश्चात निर्णय किया जाता है।
न्यायालय उप जिला कलेक्टर व उप जिला मजिस्ट्रेट बसवा (दौसा) राज.	उप जिला मजिस्ट्रेट बसवा (दौसा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.04.02 14:13:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपजिला कलक्टर एवं उप जिला मजि. बसवा
जिला–दौसा

प्रकरण संख्या :–46/2022 पुराना 29/2020
प्रकरण रज्जु दिनांक :– 4.2.2020
निर्णय दिनांक :– 7.3.2024

प्रकरण अंतर्गत धारा तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा
प्रकरण का उनवान

1. हरलाल पुत्र जैल्या जाति मीना निवासी करनावर तहसील बसवा
2. गोपाल पुत्र जैल्या जाति मीना निवासी करनावर तहसील बसवा

(वादीगण)

बनाम

1. रेवडमल पुत्र हरिकिशन जाति मीना निवासी करनावर तह.बसवा
2. कालूराम पुत्र हरिकिशन जाति मीना निवासी करनावर तह.बसवा
3. हरगोविन्द पुत्र हरिकिशन जाति मीना निवासी करनावर तह.बसवा
4. बसन्ती पत्नी स्व.हरिकिशन जाति मीना निवासी करनावर तह.बसवा
5. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार तहसील बसवा

(प्रतिवादीगण)

–: निर्णय वास्ते तकास्मा एवं इन्द्राज दुरस्ती :–

दिनांक :– 7.3.2024

1.एडवोकेट श्री रामकृपाल मीना एवं नवीन कुमार गुर्जर वादीगण की ओर से ।
2.एडवोकेट श्री एस.डी.मीना प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से
3.एडवोकेट श्री एस.डी.मीना प्रति.संख्या 2 से 4 की ओर से

पत्रावली पेश हुई । वादीगण द्वारा एक दावा वास्ते तकास्मा एवं इन्द्राज दुरस्ती हेतु इस आशय का न्यायालय हाजा में पेश किया कि वाके मौजा ग्राम करनावर तहसील बसवा में भूमि खेवट खतोनी संख्या 87 खसरा नंबर 523 रकबा 0.26 हैक्टयर, 551 रकबा 0.30 हैक्टयर, खसरा नंबर 554 रकबा 0.43 हैक्टयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.99 हैक्टयर है एवं ग्राम करनावर के ही खतोनी संख्या 380 के खसरा नंबर 522 रकबा 0.24 हैक्टयर, खसरा नंबर 552 रकबा 0.31 हैक्टयर, खसरा नंबर 553 रकबा 0.48 हैक्टयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.03 हैक्टयर भूमि मुतदाविया है । वादीगण द्वारा उनके वाद में तहरीर किया है कि वादीगण की भूमि खसरा नंबर 523 व प्रतिवादीगण का खसरा नंबर 522 दोनों बराबर बराबर 25–25 ऐयर के हैं लेकिन राजस्व अधिकारियों द्वारा खसरा नंबर 522 का रकबा 0.24 हैक्टयर व खसरा नंबर 523 का रकबा 0.26 हैक्टयर दर्ज कर दिया जो गलत है, जबकि वादीगण एवं प्रतिवादीगण 25–25 एयर पर ही काबिज [illegible] है । इसी [illegible] नंबर 551 व 552 के रकबा में गलत इन्द्राज किया हुआ है खसरा नंबर 551 रकबा 0.[illegible] हैक्टयर [illegible] खसरा नंबर 552 रकबा 0.31 हैक्टयर दर्ज कर रखा है । जबकि दोनों खसरा में 30 1/2 [illegible] 30 1/2 एयर भूमि पर कब्जा काश्त है । किंतु राजस्व अधिकारियों ने गलत इन्द्राज कर [illegible] । इसी प्रकार 554 व 553 में भी इन्द्राज गलत है । जिसमें से खसरा नंबर 554 पर वादीगण का [illegible] 1/2 भूमि पर काबिज काश्त है लेकिन इसमें त्रुटिपूर्वक 43 एयर भूमि का इन्द्राज किया हुआ है जबकि प्रतिवादी से संबंधित खसरा नंबर 553 में 48 एयर भूमि दर्ज राजस्व रिकोर्ड की हुई है । भूमि मुतदाविया का विधिवत तकास्में के बिना ही अलग – अलग खाते कायम कर दिये जिससे भूमि इन्द्राज में त्रुटि हो गई । लिहाजा उक्त खसरा नंबर 522, 523, 551, 552, 553, 554 एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.04.02 14:13:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)

Scanned with CamScanner

556 का विधिवत कब्जे अनुसार तकास्मा करते हुए, बाद दुरस्ती आदेश तकास्मा के आधार पर बंटवारा करते हुए अलग–अलग पासबुके जारी की जावें ।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण जरिये सम्मन की गई । उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई । उभय पक्षकारान ने प्राथमिक डिक्री का तकास्मा करवाये जाने का निवेदन किया । हमने वादी वादपत्र संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया । उभयपक्षकारान वकील की बहस पर मनन किया गया । वादपत्र में अंकित भूमि वादग्रस्त राजस्व जमाबंदी में पक्षकारान की अलग–अलग खातों में सहखातेदारी में दर्ज है । सहखातेदारान को अलग–अलग खाता करवाने एवं इन्द्राज दुरस्ती का अधिकार विधिक रूप से प्राप्त है । इसी कम में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 25.7.2022 द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी कर, तहसीलदार बसवा से पत्रांक 861 दिनांक 17.8.2022 के जरिये कुरेजात चाहे गये । साथ ही तहसीलदार बसवा को प्राथमिक डिक्री जारी करके निर्देश दिये गये कि खातेदारान के मध्य सरस नरस रास्ते आदि की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, जहां तक संभव हो वहां काबिज हैं के अनुसार विधिक प्रकिया का पालन करते हुए विभाजन कर बरंग सुर्ख नक्शा के कुरेजात भिजवावें । प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार तहसीलदार को कुरेजाते प्रस्ताव भिजवाने हेतु उक्तानुसार तहरीर जारी की गई ।

तहसीलदार बसवा द्वारा पुनः कुरेजात उनके पत्रांक भू.अ./2024/719 दिनांक 27.2.2024 के द्वारा न्यायालय हाजा को भिजवावें । प्राप्त कुरेजात का अवलोकन किया गया एवं वकील उभयपक्षकारान को सुना गया । वकील उभय पक्षकारान द्वारा प्राप्त कुरेजात को अंतिम डिक्री से निर्णित करने पर सहमति प्रदान की ।

प्राप्त कुरेजात तहसीलदार बसवा द्वारा पक्षाकारों को विधिवत सूचित कर मौके पर बरूपे राजस्व रिकोर्ड के बनाया जाना प्रकट होने एवं स्थित पक्षाकारों के एडवोकेट्स की सहमति से स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होने से प्राप्त कुरेजात स्वीकार किया जाकर निम्न अनुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है :–

नाम सहखातेदार				प्रस्तावित खातेदार			
कम	नाम वर्तमान खातेदारान	खसरा नंबर	रकबा	कम	नाम वर्तमान खातेदारान	खसरा नंबर	रकबा
1	कैलाशी, रामपति पुत्रियान व कालूराम, रेवडमल, हरगोविन्द पुत्रान हरिकिशन जाति मीना सा.देह खातेदार राहिन भारतीय स्टेट बैंक कृवि.शाखा राजगढ	522 552 553	0.24 0.31 0.48	1	कैलाशी, रामपति पुत्रियान कालूराम, रेवडमल, हरगोविन्द पुत्रान हरिकिशन जाति मीना सा.देह खातेदार राहिन भारतीय स्टेट बैंक कृवि.शाखा राजगढ	522 552 553/1 523/1	0.24 हैक्टयर 0.31 हैक्टयर 0.45 हैक्टयर 0.01 हैक्टयर
		कुल किता 3	1.03 है.			किता 4	1.01 हैक्टयर
2	गोपाल, हरलाल पुत्रान जैल्या जाति मीना सा. देह खातेदार	523 551 554	0.26 0.30 0.43	2	गोपाल, हरलाल पुत्रान जैल्या जाति मीना सा.देह खातेदार	523 551 554 553/2	0.25 0.30 0.43 0.03
						किता 4	1.01 हैक्टयर
		किता 3	0.99 है.				

Signature Not Verified
Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.04.02 14:13:06 IST
Reason: SelfAttested

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । प्रश्नगत प्रकरण में केवल प्राप्त कुरेजात की सीमा तक स्वीकार करके, तहसीलदार बसवा को राजस्व अभिलेख में उक्त निर्णयानुसार राजस्व अभिलेख में अंकन के आदेश दिये जाते हैं, शेष उज्र खारिज किये

उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)

Scanned with CamScanner

...है । तहसीलदार बसवा को राजस्व रिकॉर्ड में इस अंतिम डिक्री का अंकन करने के
...हेतु तामील जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर, दाखिल दफ्तर होकर नंबर से कम
...होकर दाखिल दफ्तर हो ।

(रेखा मीणा)
उपखण्ड अधिकारी(बसवा)
जि.बसवा (दौसा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.04.02 14:13:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner